स्वत्व वाद संख्या 28/21
सीआईएस 28/21
दिनांक 18.02.2024

न्यायालयः अवर न्यायाधीश अरेराज, पूर्वी चम्पारण।

आदेश

दिनांकः 18.02.2024 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला वादी द्वारा अधिवक्ता आयुक्त की बहाली के संबंध में दिनांक 21.08.2023 को दिये गये आवेदन पर आदेश हेतु निर्धारित है ।

मामले में वादी के आवेदन का अवलोकन किया । वादी के आवेदन के अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि मामले में वादी ने कहा है कि उसने विवादित जमीन पर अपने दखल कब्जा की संपुष्टि एवं स्वत्व की घोषणा एवं निष्पादित बयनामा को शून्य घोषित करने हेतु वाद लाया है । मामले में प्रतिवादीगण सरेआम धमकी देते हैं कि वह लोग जमीन से जबरन बेदखल कर देंगे । यह कि विवादित जमीन के भौतिक स्वरूप क्या है और विवादित जमीन उसके आस पास कच्चा या पक्का निर्माण सामग्री उपलब्ध है या नहीं इस संबंध में अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्त कर प्रतिवेदन मांगने की कृपा करें।

मामले प्रतिवादी की तरफ से प्रतिउत्तर अभिलेख पर नहीं है ।

उपस्थित पक्षकारों को सुना, अभिलेख का अवलोकन किया मामले में अस्थायी ब्यादेश के निष्पादन हेतु विवादित जमीन की वर्तमान भौतिक स्वरूप एवं जमीन के आस पास कच्चा या पक्का सामग्री है या नहीं इस संबंध में प्रतिवेदन हेतु प्रस्तुत न्यायालय श्री आयुष रंजन कुमार को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जाता है। मामले में वादी को निर्देश दिया जाता है कि वह 2000रु खर्च न्यायालय में जमा करें। जो अधिवक्ता आयुक्त को फीस के रूप में देय होगा। अधिवक्ता आयुक्त 15 दिन के भीतर न्यायालय में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। वाद दिनांक वास्ते ....अग्रिम कार्रवाई।

स्थानः अरेराज
पूर्वी चम्पारण।

लेखापित व संशोधित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश
अरेराज,पूर्वी चम्पारण।